दिनांक 10.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित

अखिल भारतीय मंडल लेखा अधिकारी परिसंघ और मंडल लेखाकार

संघ के कार्मिकों के साथ उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक

की कार्यसूची बैठक पर चर्चा का कार्यवृत्त।

1. दिनांक 10.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे कक्ष सं. 510 में अखिल भारतीय मंडल लेखा अधिकारी परिसंघ एवं मंडल लेखाकार संघ के कार्मिकों और उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बीच कार्यसूची बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों के नाम अनुबन्ध'क' में संलग्न है।

2. आरंभ में, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अखिल भारतीय मंडल लेखाअधिकारी परिसंघ एवं मंडल लेखाकार संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और यह उम्मीद जताई कि आगामी विचार विमर्श सार्थक और रचनात्मक होंगे।

3. इसके उपरांत कार्यसूची की मदों पर बैठक आरंभ हुई।

अनुबन्ध'क'

दिनांक 10.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे अखिल भारतीय मंडल लेखा अधिकारी परिसंघ तथा मंडल लेखाकार संघ के कार्मिकों के साथ उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षकके साथआयोजित बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची।

डॉ० पी. मुखर्जी	**उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**
सुश्री सुदर्शन तालपत्रा	**महानिदेशक (सरकारी लेखा)**
श्री खालिद बिन जमाल	**प्रधान निदेशक (स्टाफ)**
श्री रंजीत सिंह	**सहा० नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (एन)**
श्री प्रेम कुमार जारूहार	**व० प्रशासन अधिकारी (जेसीएम)**
श्री एस.एन.दास	**अध्यक्ष (परिसंघ)**
श्री विकास शर्मा	**उपाध्यक्ष (परिसंघ)**
श्री पवि कांत मित्तल	**महासचिव (परिसंघ)**
श्री ए.के. श्रीवास्तव	**अपर महासचिव (परिसंघ)**

मांग सं. 1.: डीए तथा डीएओ ग्रेड-IIहेतु भर्ती नियम

व्याख्या

अखिल भारतीय परिसंघ ने इस मामले से संबंधित विस्तृत पत्र सं.1/AIF/SG/2017; दिनांक 13.01.201744ए/AIF/SG/GEN/2016 दिनांक 16.11.2016, तथा 45/AIF/SG/GEN/2016 दिनांक 16.11.2016 के तहत प्रस्तुत किए है,

I. **मंडल लेखाकार के पद से संबंधित भर्ती नियम:** प्रस्तावित भर्ती नियमों में, मंडल लेखाकार का पद ''सामान्य केंद्रीय सेवा समुह 'ख' अराजपत्रितअनुसचिवीय''के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जबकिमंडल लेखाकार का पद एक पर्यवेक्षी पद है तथा सीपीडब्ल्यूए कोड के पैरा 4.2.2 से 4.2.7 मेंयथा वर्णित मंडल लेखाकार के कर्तव्य और कार्य उसे मंडल स्थापना में स्पष्ट रूप से एक पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में स्थापित करते हैं।

मंडल लेखाकार के पद का वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए तथा उस रूप में यह पद ''सामान्य केंद्रीय सेवा समुह ख अराजपत्रित गैर अनुसचिवीय'' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

दिनांक 24 सितम्बर 1988 के विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार इस पद को अनुसचिवीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार इसे प्रस्तावित संशोधित भर्ती नियमों में शामिल किया गया था।

इसके अतिरिक्त, चूंकि संशोधित भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं और इस समय कानूनी पुनरीक्षण के स्तर पर है अत: इस स्तर पर वर्गीकरण में परिवर्तन करना उचित प्रतीत नहीं होगा।

परिसंघ के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई थी। तदनुसार कार्यसूची की यह मद समाप्त कर दी गई।

II. ***परिसंघ ने अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया था कि प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने*** *के लिए पात्रता एसएएस पास वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार होनी चाहिए ताकि पद के कर्तव्य की प्रकृति के अनुरूप हो या प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों का भरे जाने की विधि निम्नानुसार वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार रखी जाय:*

क. वे लेखाकार (₹1200-2040) तथा वरिष्ठ लेखाकार (₹1400-2600), जिन्होंने लेखा शाखा की मंडल परीक्षा उत्तीर्ण की हो और निर्माण लेखा में 2 वर्षों के अनुभव सहित लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के रूप में 5 वर्षों की सेवा की हो, या;

ख. लोक निर्माण लेखा में 2 वर्षों को कार्य अनुभव सहित राज्य लोक निर्माण लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर 5 वर्षों तक लेखाकर/वरिष्ठ लेखाकार के समान या तुलनीय पद धारण किया हो।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

ड्राफ्ट भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों को भरने की निम्नलिखित विधि प्रस्तावित की गई है:

क. आईएएंडएडी के अन्य लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के मण्डल लेखाकार; या

ख. व. लेखाकार जिन्होंने लेखाकार की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो और निर्माण कार्य अनुभाग में 2 वर्ष का अनुभव हो; या

ग. छः वर्ष की नियमित सेवा वाले लेखाकार जिन्होंने लेखाकार की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो और निर्माण कार्य अनुभाग में 2 वर्ष का अनुभव हो; या

घ. राज्य लोक निर्माण विभाग लिपिक पे बैंड-1 (₹5200-20200), ग्रेड पे ₹2800 के साथ छः वर्ष की नियमित सेवा और लोक निर्माण विभाग लेखा में 2 वर्ष का अनुभव हो।

ड्राफ्ट आरआर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित आरआरज में केवल अन्य ले. एवं हक. कार्यालयों के मण्डल लेखाकारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, लेखाकारों की योग्य अर्हता सेवा को इस संबंध में डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार 5 वर्षों से 6 वर्षों के लिए बढाने की संभावना है।

ड्राफ्ट आरआर में प्रस्तावित भर्ती की विधि सीधी भीर्ती द्वारा है और संवर्ग में रिक्ति होने पर प्रतिनियुक्ति पर भरने की विधि अस्थायी है।

संघ के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई थी। तदनुसार एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

III. *डीएओ ग्रेड II के पद के आरआरज*

क. *मडंल लेखा अधिकारी ग्रेड II (डीएओ ग्रेड II) के पद के **प्रस्तावित आरआरज** के अनुसार 'प्रतिनियुक्ति' आधार पर पद को भरने की विधि क्रम सं. IV के तहत कालम II में निम्नानुसार उल्लिखित है:*

"3 वर्षों की नियमित सेवा (लेखा और हकदारी कार्यालय से संबंधित जिसके क्षेत्राधिकार में रिक्तियां हों) के साथ पे मैट्रिक्स के स्तर-6 में वरिष्ठ लेखाकार और निर्माण कार्य अनुभाग में 3 वर्षों का अनुभव"

*डीएओ ग्रेड II के पद के **मौजूदा आरआर** के अनुसार, प्रतिनियुक्ति के लिए योग्यता है: भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अनुभाग अधिकारी या अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण स्टाफ या इसी प्रकार केन्द्र सरकार के अतंर्गत किसी लेखा संगठन से अर्हता प्राप्त स्टाफ।*

वरिष्ठ लेखाकारों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद भरने का प्रस्ताव योग्यता मानदंड एसओ (अब एएओ) से वरिष्ठ लेखाकार तक कम करने से डीएओ ग्रेड-II का पद विरूपित हो जाएगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत संघ व. लेखाकारों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर पद भरने के लिए कालम 11 के अन्तर्गत क्रम सं. (iv) में उल्लिखित योगयता मानदंड को हटाने का अनुरोध करता है क्योंकि उन्होंने विभागीय लेखाकार ग्रेड परीक्षा या एसएएस परीक्षा पास नहीं की है।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

अनुभाग अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर पद भरने का मौजूदा आरआर इस औचित्य पर आधारित था कि 6ठे सीपीसी से पूर्व अनुभाग अधिकारी और डीएओ ग्रेड-II का वेतन मान समान था अर्थात् ₹6500-10500। तथापि, 6ठे सीपीसी के बाद अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नयन कर उसका विलय एएओ के पद के साथ कर दिया गया है और उसे उच्चतर ग्रेड पे ₹4800 (अब पे मैट्रिक्स स्तर 8) में रखा गया है, जबकि डीएओ ग्रेड-II में ₹4600 (अब पे मेट्रिक्स का स्तर 7) के ग्रेड पे का प्रतिस्थापन हुआ है।

व लेखाकारों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदों को भरने के संबंध में उक्त खण्ड को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क. केन्द्र सरकार के तहत अधिकारी

(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण; या

(ii) *स्तर-6 या मूल संवर्ग/विभाग में समान; में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दी गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा के साथ;*

ख. निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होना

(i) *एसएएस या केंद्र सरकार के किसी एक संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण*

(ii) *आईएसटीएम या समरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोकड और लेखा कार्यों में सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करना और रोकड, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।*

तदनुसार एजेंडा मद को समाप्त माना जाय।

ख. *डीएओ ग्रेड II का पद पहले के अनुभाग अधिकारी के समरूप था। चूंकि अब छठे वेतन आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नयन कर ₹4800 ग्रेड पे कर दिया गया, इसलिए समान प्रकार पर संघ ने अनुरोध किया है कि पहले के 7वे सीपीसी के अन्तर्गत ₹4800 ग्रेड पे (पे मेट्रिक्स 8) के डीएओ ग्रेड II के पद के उन्नयन के मामले को सरकार को भेजा जाए।*

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ ने 7वें सीपीसी के अपने ज्ञापन में यह मांग नहीं उठाई थी।

6ठे सीपीसी ने अपनी रिपोर्ट में आईएएवंएडी में अनुभाग अधिकारी के पद के उन्नयन के लिए सिफारिश की और ₹4800 के ग्रेड पे की सिफारिश की थी। इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नयन कर उसका एएओ के पद के साथ विलय कर ₹4800 ग्रेड पे दिया गया था।

7वे सीपीसी को विभाग का ज्ञापन प्रेषित करते समय डीए संवर्गों के लिए उच्चतर ग्रेड पे प्रस्तावित की गई थी। तथापि, इसे 7वे सीपीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। मामला आगे कार्यान्वयन सैल (7वां सीपीसी) और सचिवों की सशक्तिकरण समिति (ईसीओएस) के साथ उठाया गया था। किन्तु सरकार ने दिनांक 25.07.2016 की अपनी राजपत्र अधिसूचना द्वारा केवल डीए के वेतन मान के साथ साथ मुख्य धारा संवर्गों के वेतन मान के प्रतिस्थापन की सिफारिश की थी। चूंकि 7वें सीपीसी की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित कर दिया गया है। इस स्तर पर पदों के किसी उन्नयन का प्रस्ताव संभव नहीं होगा।

तदनुसार एजेंडा मद को समाप्त माना जाए।

मांग संख्या-2: आईएएण्डएडी के अधिकारियों जो 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेड वेतन ₹ 4800/- का आहरण कर रहें है, को ग्रेड वेतन - ₹ 5400/- (पीबी-II) के उन्नयन के संबंध में 7वें सीपीसी की सिफारिश के पैरा सं. 11.12.140 और सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 का कार्यान्वयन।

स्पष्टीकरण:

भारत सरकार के संकल्प एवं राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25-07-2016 के द्वारा 7वें सीपीसी की शिफारिशों को लागू कर दिया गया है और सीपीसी की रिपोर्ट के पैरा 11.12.140 के अनुसार 7वें सीपीसी ने भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों जो ग्रेड वेतन ₹ 4800/- में है और 4 वर्ष की सेवा ग्रेड वेतन 4800/- में पूरी कर चुके है उन्हें 01-01-2016 से ग्रेड वेतन 5400/- (पीबी-2) (अर्थात वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 9) की शिफारिश की है। भारत सरकार ने संकल्प एवं राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 के द्वारा 7वें सीपीसी की शिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के मंडल लेखा अधिकारी का पद ग्रेड-1 पूर्व संशोधित वेतन में ग्रेड वेतन ₹4800/- में विद्यमान है और उस रूप में 7वें सीपीसी के रिपोर्ट का पैरा 11.11.140 डीएओ ग्रेड-1 पर भी लागू है जो ग्रेड वेतन ₹ 4800/- में 4 वर्ष की सेवा पुरी कर चुके हैं।

अत: इस सन्दर्भ में यह अनुरोध किया जाता है कि डीएओ ग्रेड-1 जो ग्रेड वेतन ₹ 4800/- में 4 वर्ष की सेवा पुरी कर चुके है को ग्रेड वेतन ₹ 5400/- अर्थात वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 9 देने के संबंध में कृपया आवश्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाए।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

आईएएण्डएडी अध्याय में, संवर्ग में 4 वर्षों की सेवा पश्चात वेतन ग्रेड ₹4800/- के कर्मचारियों को ग्रेड वेतन₹5400/- में उन्नयन करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

तथापि रक्षा अध्याय में, पैरा 11.12.140 द्वारा 7वें सीपीसी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि ***संगठित लेखा संवर्गों में सभी अधिकारीगण*** *(आईएएण्डएडी, रक्षा लेखा विभाग, भारतीय सिविल लेखा संगठन, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार में) जो वेतन ग्रेड ₹ 4800/- में है उनका 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेड वेतन ₹ 5400/- यथा वेतन लेवल 9 में उन्नयन किया जाना चाहिए। 7वें सीपीसी की उपरोक्त सिफारिशों को परिचलित करने हेतु कार्यालय ज्ञापन सरकार द्वारा अभी जारी किया जाना है।*

उपरोक्त विषय पर शीघ्रता से ओएम जारी करने के लिए कार्यान्वयन सेल (7वे सीपीसी) के साथ, पत्र सीएजी यू.ओ. दिनांक 9.5.2016 और अनुस्मारक दिनांक 25.11.2016 के द्वारा

पत्राचार किया गया है। आवश्यक का.ज्ञा. शीघ्रता से जारी करने हेतु यह मामला वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (का.) के साथ भी उठाया गया है।

चूँकि, डीएओ-1 वेतन ग्रेड ₹4800 में है, इसलिए यह उन पर भी लागू होगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में, कार्यसूची मद को समाप्त माना जाए।

मांग संख्या-3: मंडल लेखाकार संवर्ग के संबंध में 7वें सीपीसी सिफारिशों में असंगतियां।

स्पष्टीकरण:

असंगति संख्या-1- विभागीय लेखाकार के पद के वेतनमान का उन्नयन।

7वें सीपीसी की सिफारिशों में कहा गया था कि 6वे सीपीसी ने मंडल लेखाकार के पद के वेतनमानों को प्रत्येक स्तर पर उन्नयन करने की सिफारिश की थी।

(i) लेकिन अधिसूचना सं. जीएसआर 622(ई) दिनांक 29.08.2008 की प्रथम अनुसूची में मंडल लेखाकारों के पद के वेतनमान के उन्नयन को पार्ट-ख एवं पार्ट-ग खण्ड-1 में शामिल नहीं किया गया था जिसके द्वारा 6वें सीपीसी की सिफारिशें लागू हुई थीं और प्रथम अनुसूची के पार्ट-क के खण्ड-1 अनुसार मंडल लेखाकारों के पद को वर्तमान स्केल में सामान्य प्रतिस्थापना दी गई थी। जिसकी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग यू.ओ. सं. 272/हक.-1/110-2011 दिनांक 31.03.2011 द्वारा पुष्टि भी की गई है।

(ii) वेतन बेंड-2 में ₹ 4200/- ग्रेड वेतन में (डी.ए. के वेतनमानों का उन्नयन) ₹ 5000-8000/-,₹ 5500-9000/- और 6500-10500/- के तीन वेतनमानों को जी.ओ.सं. एफ सं.1/1/2008-आईसी दिनांक 13.11.2009 के द्वारा मिला दिया गया है।

जी.ओ. में बनाये गये प्रावधान के बावजूद कि फीडर और पदोन्नति संबंधी पद समान ग्रेड वेतन में नहीं रहेंगे और वे जो पहले वेतनमान ₹ 6500-10500/- में थे उनके ग्रेड पे 4200/- में उन्नयन होगे। **लेकिन पुन: मंडल लेखाकारों को उपेक्षित किया गया हालांकि मंडल लेखाकारों का फीडर संवर्ग वरिष्ठ लेखाकार है और समान ग्रेड पे ₹ 4200/- में रखा गया था। उस रूप में वेतनमानों का तथाकथित उन्नयन जैसा कि 7वें सीपीसी में उल्लेखित है, सही नहीं है और असंगतियां अभी भी कायम हैं।**

(iii) भारत सरकार ढांचे के अन्तर्गत मंडल लेखाकार और अन्य पदों के लिए एक ही नियुक्ति माध्यम है।

कृपया 7वें सीपीसी के सिफारिशों के पैरा 11.8.19 से 11.08.21 थी ओर ध्यान दे। जिसमें निरीक्षक के पद (पदों) को सीबीडीटी/सीबीईसी के निरीक्षकों के सममूल्य दर्जा दिया है। यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि दोनों पदों अर्थात निरीक्षक के पदों और सीबीडीटी/सीबीईसी के निरीक्षकों की एक ही माध्यम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा द्वारा भर्ती की जाती है और निरीक्षक (पदों) को 4600/- ग्रेड वेतन की सिफारिश करता है जोकि पहले से ही ग्रेड वेतन ` 4200/- में है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि 7वें सीपीसी पैरा 11.18.53 से 11.18.55 और 11.18.58 से 11.18.60 के द्वारा यह सिफारिश करता है कि सीबीडीटी और सीबीईसी के निरीक्षकों को ₹ 4600/- का ग्रेड वेतन

प्रतिस्थापना स्केल है। उसी प्रकार आसूचना ब्यूरों (आईबी) के एसीआईओ-II को पैरा सं. 11.22.80 से 11.22.85 द्वारा ₹ 4600/- के ग्रेड वेतन उन्नयन को भी सिफारिश की गई थी और ग्रेड वेतनमानों ₹ 4200/- से ₹ 4600 के उन्नयन की निरीक्षक के (पद) एवं आसूचना ब्यूरों (आईबी) के एसीआईओ-II को संकल्प एवं अधिसूचना दिनांक 25-7-2016 में 7वें सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में दिया गया है।

विनम्रता पूर्वक यह भी अवगत करवाया जाता है कि मंडल लेखाकार की कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित एक ही संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा द्वारा भर्ती की जाती है और जो मंडल लेखाकारों में सीधा प्रवेश स्तर है जैसे विभिन्न विभागों के निरीक्षक और आसूचना ब्यूरों के एसीआईओ-II के साथ अन्य कुल और पद जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम और साक्षात्कार द्वारा उन सभी पदों पर भर्ती को ₹ 4600/- का ग्रेड वेतन दिया जाता है और 7वें सीपीसी अपनी रिपोर्ट में प्रतिस्थापित स्केलों की सिफारिश करता है और बाकी पदों को बाद में मंडल लेखाकार के शिवाए ग्रेड वेतन ₹ 4600 के अनुसार उन्नयन किया गया है।

इन परिस्थितियों में, हम प्रार्थना करते हैं कि इस असंगति को कृपया समाप्त कर दिया जाए और सीपीसी की सिफारिशों की भावना को बरकरार रखा जाए।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

7वें सीपीसी को विभाग का ज्ञापन प्रेषित करते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार डीए के लिए उच्च वेतन ग्रेड की मांग की गई थी:

पदों की श्रेणी	***6वें सीपीसी के वेतन मान***	***विभाग द्वारा 7वें सीपीसी को प्रस्तावित ग्रेड वेतन***	***सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन लेवल***
मंडल लेखाकार	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4200*	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4600*	*पे लेवल-6 (ग्रेड पे₹4200, पीबी-2)*
डीएओ-II	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4600*	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4800*	*पे लेवल-7 (ग्रेड पे₹4600, पीबी-2)*
डीएओ-I	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4800*	*पीबी-2, ग्रेड पे₹5400*	*पे लेवल-8 (ग्रेड पे₹4800, पीबी-2)*
वरिष्ठ डीएओ	*पीबी-3, ग्रेड पे₹5400*	*पीबी-3, ग्रेड पे₹6600*	*पे लेवल-10 (ग्रेड पे₹5400, पीबी-3)*

इसी प्रकार, मुख्य वर्ग के स्वर्ग हेतु निम्नलिखित उच्च ग्रेड वेतन मांगे गये थे

पदों की श्रेणी	***6वें सीपीसी के वेतन मान***	***विभाग द्वारा 7वें सीपीसी को प्रस्तावित ग्रेड वेतन***	***सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन लेवल***
लेखापरीक्षक/ लेखाकार	*पीबी-1, ग्रेड पे₹2800*	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4200*	*पे लेवल-5 (ग्रेड पे₹2800, पीबी-1)*
व. लेखापरीक्षक/ व. लेखाकार	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4200*	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4600*	*पे लेवल-6 (ग्रेड पे₹4200, पीबी-2)*
एएओ	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4800*	*पीबी-2, ग्रेड पे₹4800 04 वर्ष पश्चात पीबी-2, ग्रेड पे₹5400*	*पे लेवल-8 (ग्रेड पे₹4800, पीबी-2)*
एओ	*पीबी-2, ग्रेड पे₹5400*	*पीबी-3, ग्रेड पे₹6600*	*पे लेवल-09 (ग्रेड पे₹5400, पीबी-2)*
एस. एओ	*पीबी-3, ग्रेड पे₹5400*	*पीबी-3, ग्रेड पे₹7600*	*पे लेवल-10 (ग्रेड पे₹5400, पीबी-3)*

तथापि, 7वें वेतन आयोग ने डीए के साथ-साथ मुख्य धारा संवर्ग के लिए दोनों प्रस्तावों को नहीं माना और दोनों संवर्गों-डीए के साथ-साथ मुख्य धारा संवर्गों के लिए वेतनमान बदलने की सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ लेखाकार संवर्ग डीए के लिए पोषक संवर्ग नहीं है। मण्डल लेखाकार का पद सीधी भर्ती वाला पद है। एसएससी के माध्यम से चयनित उम्मीदवार मण्डल लेखाकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तथापि, भर्ती नियमों में प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ लेखाकार, मण्डल लेखाकार के रूप में प्रतिनियुक्त हेतु पात्र होते हैं।

उपरोक्त को देखते हुए एजेंडा मद समाप्त समझा जाए।

विसंगति सं.- II - अनुभाग अधिकारियों की तरह डीएओ-II के पद का उन्नयन।

क. *7वें वेतन आयोग ने 6ठें वेतन आयोग द्वारा किए गए अन्याय और विसंगति पर ध्यान नहीं दिया। लगातार, वेतन आयोगों का अनुमान था कि आईएएण्डएडी में सापेक्षतायें हैं, जबकि सीएजी ने कई बार इस मामले पर विशिष्ट विरोधाभाषी टिप्पणियां दी हैं।*

तथापि, छठे वेतन आयोग ने बिना कोई कारण बताए पुरानी समानता समाप्त कर दी।

छठे वेतन आयोग की सिफारिश के पैरा सं. 7.56.9 में यह निर्देशित किया गया है कि अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप इस पद को ग्रेड पे ₹4800/- वेतन बैंड-2,₹9300-34500/- जो संशोधन पूर्व वेतनमान ₹7500-12000/- था से उच्च ग्रेड में रखा जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि आईएएण्डएडी में सिफारिश की जा रही उक्त संरचना को अन्य संगठित लेखा संवर्ग जैसे सी.जी लेखाओ, सी.जी रक्षा लेखाओं, रेलवे लेखाओं, डाक लेखाओं, दूरसंचार लेखाओं के मामले में भी लागू किया जाएगा।

छठे वेतन आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद बढा दिया तथा इसे मिलाकर एएओ का पद कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आईएएण्डएडी में मण्डल लेखा अधिकारी-II का वेतनमान, जो सलेक्शन ग्रेड मण्डल लेखाकार (अब डीएओ ग्रेड-II) का पद बनने से उस एस.ओ के समकक्ष था, का छठे वेतन आयोग के बाद उन्नयन नहीं किया गया, इसलिए समानता को अनुचित तरीके से भंग किया गया और इससे आगे गंभीर विसंगति उत्पन्न हई।

ख. *डीएओ-II का पद अनुभाग अधिकारी के पद के समतुल्य था और डीएओ-II का वेतनमान छठे वेतन आयोग से पूर्व तब के अनुभाग अधिकारी के समान था तथा अनुभाग अधिकारी भी डीएओ-2 के पद पर नियुक्ति के पात्र थे। सरकार/छठे वेतन आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी का पद तब से अपग्रेड कर दिया गया है और एएओ (ग्रेड पे ₹4800/-) के साथ मिला दिया गया है; जबकि डीएओ-II के पद को ₹ 4800 ग्रेड पे नहीं दिया गया था और ₹4600 का कम ग्रेड पे दिया गया था।*

इस असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता है।

हम असमानता समाप्त करने की मांग करते हैं और सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं:

- ***अनुभाग अधिकारी के समान ग्रेड पे और पे बेंड***

- ***पूर्ण संवर्ग संगठित लेखा क्षेत्र में शामिल किया जाये ताकि इस संवर्ग के लिये किसी अलग आदेश की आवश्यकता न पड़े और इस क्षेत्र के संवर्ग पर लागू आदेशों और सिद्धांतों को डी.ए संवर्ग में भी स्वत: ही लागू कर दिया जाये।***

मांग पर अधिकारिक प्रक्रिया

छठे वेतन आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी और एएओ के पदों को मिला दिया गया था और ₹4800 के समान ग्रेड पे (पीबी-2) में रखा गया था। समान रूप से डीए संवर्ग में, एस. डीएओ का पद, जो मुख्य धारा संवर्ग में एओ के समान श्रेणी में था का उन्नयन किया गया था और एस. एओ (पीबी-3, ग्रेड पे ₹5400/-) के समान रखा गया था।

छठे वेतन आयोग ने डीएओ-II के वेतनमान में किसी भी उन्नयन की सिफारिश नहीं की और बदले में पीबी-2, ग्रेड पे ₹4600 का वेतनमान दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, सातवें वेतन आयोग ने दोनों संवर्ग-डीए और मुख्य धारा संवर्ग के लिये वेतनमान बदलने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, एजेंडा मद को समाप्त समझा जाए।

मांग संख्या 4.: वरिष्ठ. डीएओ के पद पर पदोन्नति हेतु प्रमोशनल कोटा में वृद्धि/मण्डल लेखाकार के संवर्ग का पुनर्गठन

स्पष्टीकरण:

क. मण्डल लेखाकार का संवर्ग भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की संगठित लेखा सेवा से संबंधित है; लेकिन डीएओ ग्रेड से एस. डीएओ में पदोन्नति हेतु प्रमोशनल कैरियर प्रगति अनुपात बहुत कम है जिसके कारण कई डीएओ ग्रेड-1 12-16 वर्षों तक एक ही पद पर तैनात हैं। कुछ डीएओ ग्रेड-1, डीए संवर्ग में 30 वर्षों से अधिक की सेवा करने के बाद भी डीएओ ग्रेड-1 के पद से ही सेवानिवृत्त हुये हैं और उन्हें एस. डीएओ के पद पर पदोन्नति नहीं मिल सकी।

ख. छठे वेतन आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नयन किया गया था और एएओ के पद के साथ मिला दिया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश आईएएंडएडी में, मण्डल लेखाकार-II का वेतनमान जो सलेक्शन ग्रेड मण्डल लेखाकार (अब डीएओ ग्रेड-II) का पद बनने से अनुभाग अधिकारी के समान था, का छठे वेतन आयोग के बाद उन्नयन नहीं किया गया था।

ग. इसके अतिरिक्त 20:80 प्रमोशनल अनुपात डीए संवर्ग (निम्न से उच्च ग्रेड) को नहीं दिया गया था, जबकि 01.01.1986 से यह आइएएंडएडी के सभी अन्य संवर्ग के लिये लागू है।

इसलिये यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया डीए संवर्ग का निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन किया जाये

क्र.सं.	पद का नाम	मौजूदा संरचना	प्रस्तावित संरचना	टिप्पणियां
1.	मण्डल लेखाकार	35%	25%	
2.	डीएओ ग्रेड-II	25%	-	
3.	डीएओ ग्रेड-I	25%	50%	डीएओ ग्रेड-II के पद का उन्नयन किया जाये और डीएओ ग्रेड-I के साथ मिला दिया जाये।
4.	एस. डीएओ	15%	25%	

यह भी अनुरोध किया जाता है कि वैसे तो संवर्ग में कोई पदक्रम नहीं है क्योंकि संवर्ग के सभी सदस्य वर्तमान में समान से परे किसी भी प्रमोशनल पहलू के बिना समान ड्यूटी कर

रहे हैं, इसलिये मांग के अनुसार अनुपात का क्रियान्वयन संगठनात्मक संरचना को हानि नहीं पहुँचायेगा। इसलिये ए.आई.एफ इस मांग पर विचार करने का पुन: अनुरोध करता है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

आईएएंडएडी में अन्य संवर्ग के प्रतिकूल, डीए संवर्ग में स्थाईकरण के बाद, कर्मचारियों को किसी भी परीक्षा के बिना अगले 03 उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है। जबकि, अन्य संवर्ग में कर्मचारियों, जैसे वरिष्ठ लेखाकार, एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना आगे पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। अपने सेवा काल के अंत तक पर्यवेक्षक संवर्ग में पदोन्नति का अवसर केवल उनमें से 4% लोगों को ही मिलता है।

तीसरे वेतन आयोग से पूर्व डीए संवर्ग में केवल एक ही पद था, अर्थात मण्डल लेखाकार। इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए पदानुक्रम में अतिरिक्त पद जोड़े गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है:

पदनाम	**तीसरा वेतन आयोग**	**चौथा वेतन आयोग**	**पाँचवां वेतन आयोग**	**छठा वेतन आयोग**	**साँतवां वेतन आयोग**
डीए	475-750	1400-2600	5500-9000	पे बैण्ड-2 ग्रेड पे-4200	वेतन स्तर 6
सलेक्शन ग्रेड/डीएओ-II	555-800	1640-2900	6500-10,500	पे बैण्ड-2 ग्रेड पे-4600	वेतन स्तर 7
डीएओ-I	-	2000-3200	7450-11,500	पे बैण्ड-2 ग्रेड पे-4800	वेतन स्तर 8
एस. डीएओ	-	-	7500-12,000	पे बैण्ड-3 ग्रेड पे-5400	वेतन स्तर 9

अन्य संवर्गों की तुलना में डीए संवर्ग में पदोन्नति के बेहतर अवसर हैं।

उपरोक्त को देखते हुए एजेंडा मद समाप्त समझा जाए।

माँग सं. 5: एसडीएओ से पदोन्नति पर आईएएण्डएएस के पद को भरने के लिए आईएएण्डएएस (आरआर) नियमों में प्रावधान करने का प्रस्ताव।

स्पष्टीकरण:

पत्र सं. 2/AIF एसजी/Gen/2017 दिनांक 13.01.2017 में विवरण दिया गया है

भारत सरकार के जीएसआर सं. 254 दिनांक 24.03.1983 द्वारा यथा प्रकाशित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (भर्ती) नियम 1983 के प्रचलित भर्ती नियमों में नियम 7(2) (ii) एवं (iii) के अनुसार, आईएएण्डएडी के समूह ''ख'' अधिकारी अर्थात ए.ओ/एस.ए.ओ से पदोन्नति द्वारा आईएएण्डएडी सेवा के 33-1/3% पदों को भरने का प्रावधान किया गया है, लेकिन डीए संवर्ग के समूह ''ख'' अधिकारी अर्थात एस.डीएओ को आईएएण्डएएस में आगमन हेतु उपरोक्त नियमों में शामिल नहीं किया गया है।

एस.डीएओ, आईएएण्डएडी में एस.एओ के समतुल्य हैं और एस.एओ की तरह आईएएण्डएएस संवर्ग में लाये जाने हेतु पात्र/योग्य हैं। अत: एओ/एस.एओ संवर्ग से आईएएण्डएएस में आगमन के प्रावधान के अतिरिक्त एस.डीएओ (समूह 'ख' राजपत्रित) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा आईएएण्डएएस के पदों को भरने हेतु अलग से प्रावधान/प्रतिशतता की व्यवस्था की जाए।

माँग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

डीए संवर्ग के कार्मिकों के पास एसएएस परीक्षा में बैठने और एएओ/एओ/एस.एओ बनकर आईएएण्डएएस में आने हेतु पात्र होने का विकल्प है।

उपरोक्त को देखते हुए एजेंडा मद समाप्त समझा जाए।

माँग सं. 6: लेखा संहिता खण्ड-III के अनुसार लोक निर्माण लेखा में आईएफएमएस/एक समान प्रणाली बनाई जाए।

स्पष्टीकरण:

कुछ राज्यों में लोक निर्माण विभाग के लेखा संहिता भाग-III के अनुसार पीडब्ल्यूडी डिविजनों में अलग मासिक लेखा संकलित नहीं किया जा रहा है और निर्माण के सभी भुगतान अन्य सिविल विभागों के भुगतान की तरह कोषागार द्वारा आहरित एवं वितरित किये जा रहे हैं तथा इन भुगतानों का लेखांकन ई-बिलिंग/ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के अंतर्गत सिविल लेखाओं की तरह किया जा रहा है और सीपीडब्ल्यूए संहिता के अनुसार लेखा संहिता भाग-III के अनुसार मासिक लेखाओं का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण समाप्त कर दिया गया है। लेखांकन संबंधी कार्य जैसे-कार्यवार व्यय, भण्डार एवं विनिर्माण व्यय, जमा कार्य व्यय, प्रतिशत प्रभारों का समायोजन, उत्पादन व्यय का समायोजन आदि भी सीपीडब्ल्यूए संहिता/लेखा संहिता भाग-III के अनुसार अनुरक्षित नहीं किए जा रहे हैं। मण्डल स्तरीय निर्माण लेखा के अभाव में अथवा लेखा संहिता भाग-III के अनुसार निर्माण लेखा न बनाए जाने से लोक निर्माण लेखाओं की लेखापरीक्षा भी संभव नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु एवं राजस्थान की सरकार ने पहले ही ई-बिलिंग की प्रणाली शुरू कर दी है और धीरे-धीरे पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली की ओर उन्मुख हैं जहाँ सम्पूर्ण लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूर्ण किए जाएंगे और संभवत: हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने का प्रावधान समाप्त किया जा रहा है। चूँकि यह लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा ऑनलाइन निर्माण बिल बनाने वाली प्रणाली से इकठ्ठा किया जाता है और डीडीओ द्वारा भुगतान हेतु खजाने को ऑनलाइन भेजा जाता है लेकिन इसकी सटीकता, स्वीकार्यता और सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डीए/डीएओ द्वारा इसकी ऑनलाइन जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह सीएजी के आधारभूत अधिकारियों का संवर्ग होने के कारण हम लेखापरीक्षा के साथ-साथ पद की संवैधानिक सुचिता हेतु आपके हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं है कि सरकार आपके कार्यालय से अनुमोदन के बिना लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

जैसा कि महाराष्ट्र एंव ओड़िशा में ऑनलाइन भुगतान/आईएफएमएस प्रणाली के अंतर्गत एक समान प्रणाली अपनाई गई है जहाँ लेखा संहिता भाग-III के अनुसार पीडब्ल्यूडी डिवीज़नों द्वारा पीडब्ल्यूडी प्रणाली का अलग लेखा बनाया एंव प्रस्तुत किया जाता है, इसी प्रकार अन्य राज्यों द्वारा सभी निर्माण विभागों में एक समान प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ताकि लेखापरीक्षा निर्माण के लेनदेन की जाँच की जा सके।

माँग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

आईएफएमएस प्रणाली लाने से मण्डल लेखाकार द्वारा अपेक्षित जाँच समाप्त नहीं हो जाती हैं। तथापि यदि किसी राज्य में भिन्न प्रणाली है तो आगे की जाँच के लिए इसे मुख्यालय के संज्ञान में लाया जाय।

माँग सं. 7: वित्तीय दस्तावेजों और चैक/आरटीजीएस फार्म पर दोहरे हस्ताक्षर

स्पष्टीकरण:

यह सूचित किया जाता है कि भारत के सीएजी ने अपने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीडब्ल्यू संगठनों में जारी चैकों पर मंडल अधिकारी के साथ मंडल लेखाकारों/मंडल लेखा अधिकारियों के दोहरे हस्ताक्षरों से संबंधित मामले को देखने के लिए राज्य महालेखाकारों को निर्देश दिये हैं। यह व्यवस्था बजटीय प्रबंधन के संबंध में अधिक उत्तरदायित्व, वित्तीय प्रबंधन करने के लिए करनी चाहिए।

यह सत्य है कि जैसा कि कई राज्यों ने भारत सरकार, वित्त विभाग द्वारा यथा प्रतिपादित नकद प्रवाह प्रबंधन को अपनाया है परंतु डीएओ/डीए; जो मण्डलीय व्यवस्था में वित्तीय/बजटीय नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, को इस उद्देश्य हेतु उचित भूमिका प्रदान नहीं की गई है। चैक/आरटीजीएस पर दोहरे हस्ताक्षर की पद्धति अभी केवल नौ राज्यों अर्थात तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और ओड़िशा में लागू की गई है।

अत: यह अनुरोध किया जाता है कि देश भर की राज्य सरकारें जहां संवर्ग सीएजी के पास हैं वहां चैक/आरटीजीएस फॉर्म पर दोहरे हस्ताक्षर के प्रावधान लागू करने के लिए सम्पर्क किया जाय।

इससे काफी अधिक सीमा तक पारदर्शिता लाई जाएगी और सार्वजनिक राजकोष की दुरूपयोग से बचा जा सकेगा।

माँग की आधिकारिक प्रतिक्रिया:

आरटीजीएस/एनइएफटी से चैक प्रणाली को पहले ही बदल दिया गया है। इसलिए, चैक पर दोहरे हस्ताक्षर के संबंध में सीपीडब्ल्यू कोड के पैरा 6.2.7 के अंतर्गत प्रावधान अब अर्थहीन हो चुके हैं। आरटीजीएस/एनइएफटी उन बिलों पर आधारित है जिन्हें मौजूदा सभी जांचों को लागू करने के बाद पास किया गया है। यहां तक कि आरटीजीएस/एनइएफटी करते हुए हस्ताक्षरों की अन्य कोई आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के संदर्भ में, कार्यवृत्त को समाप्त माना जाए।

माँग सं. 8: डीए के संवर्ग से पेंशनधारकों के पी.पी.ओ केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) से जारी किए जाने चाहिए।

स्पष्टीकरण:

कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में डीए संवर्ग के सेवा निवृत कर्मचारियों के पीपीओ सेवा निवृति के बाद राज्य सरकार कर्मचारी की तरह संबंधित राज्य के महालेखाकार द्वारा जारी किये जाते हैं और न कि केन्दीय सरकार कर्मचारियों की भाँति। सीपीएओ द्वारा पीपीओ को जारी न करने के कारण केन्द्रीय सरकार प्रतिरूप में सुविधा प्राप्त करने में सेवा निवृत वा.डीएओ/डीएओ/डीए को समस्या पैदा होती है क्योंकि पेंशन भुगतानकर्ता अधिकारी/बैंक आदि उन्हें राज्य सरकार कर्मचारियों के रूप में मानते हैं। उस रूप में, यह अनुरोध किया जाता है कि आईए एंड एडी के सभी अन्य कर्मचारियों की भाँति सीपीएओ द्वारा डीए के पीपीओ के जारी करने के संबंध में समान नीति अपनाई जाय। इस संदर्भ में एक विस्तृत पत्र पहले ही 5/एआईएफ/एसजी/जेन.2017 दिनांक 19.01.2017 के तहत एआईएफ द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

माँग की आधिकारिक प्रतिक्रिया:

अब तक, डीए संवर्ग वाले 18 राज्यों में से, 12 राज्यों में पीपीओ आईएएंडएडी के कर्मचारियो की भाँति ही सीपीएओ द्वारा जारी किये गये हैं। शेष राज्यों में, पीपीओ राज्य म.ले. द्वारा जारी किये जा रहे हैं। डीए संवर्ग में सभी अधिकारियों के संबंध में सीपीएओ द्वारा पीपीओ जारी करने के संबंध में मामला सयुक्त सचिव (कार्मिक) और सीपीएओ के साथ उठाया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह कार्यवृत्त मद समाप्त माना जाये।

माँग सं. 9: नियुक्ति और स्थानांतरण नीति

स्पष्टीकरण:

संघ ने प्रस्तुत किया कि:

क. मंडल लेखाकार संवर्ग की नियुक्ति और स्थानांतरण नीति भारत के सीएजी के परिपत्र सं. 352-स्टाफ (नियुक्ति)/132-2013 दिनांक 22.03.2013 द्वारा संशोधित किया गया था तथा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति में 12 वर्षों एवं समान वितरण के अतिरिक्त खण्ड जोडे गए हैं तथा भारत के सीएजी के परिपत्र सं. 502-स्टाफ (नियुक्ति)/131-2015 दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी डीए संवर्ग की नियुक्ति और स्थानांतरण नीति में यह खंड रखा गया है।

ख. स्थानांतरण नीति में 12 वर्षों और समान वितरण के खंड से राज्यों में विशेषत: डीएओ/डीए की काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं जिसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कठिन क्षेत्रों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों (शैक्षिक, चिकित्सा, यातायात सुविधाओं की कमी के संबंध में) का नाम दिया जा सकता है। कुछ राज्यों की स्थलाकृति ऐसी हैं जैसे कुछ क्षेत्र कम संपर्क वाले अन्य राज्य जैसे हैं। पहाड़ी राज्यों में कुछ क्षेत्र लंबे समय के लिए बाकी दुनिया से कटे रहते हैं। व्यय के आधार पर मंडलों का वर्गीकरण और वैकल्पिक स्टेशन पर किसी की स्थिति के अनुसार मंडल की अनुपलब्धता एक अन्य बाधा है जो बार-बार स्थानांतरण अपेक्षित स्टेशन प्राप्त करने में बाधा बनता है और इसलिए, इसमें दोबारा अपेक्षित स्टेशन प्राप्त करने में किसी को रोकने के लिए अतिरिक्त खंड जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग. स्थानांतरण नीति में 12 वर्षों की शर्त/प्रतिबंध की विभिन्न एजी द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है क्योंकि कोई भी एक ही स्टेशन या एक ही मंडल में 12 वर्षों से पहले वापस नहीं आ सकता। क्षेत्रीय कार्यालय 12 वर्षों के खंड को संवर्ग को परेशान करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग कर रही है क्योंकि यह माना जाता है कि डीए/डीएओ/व.डीएओ स्टेशन से बाहर जाने वाले डीएओ को बाहर के स्टेशन पर अपनी 12 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद ही उक्त स्टेशन पर आना अनुमत है।

घ. 12 वर्षों के प्रतिबंध और समान वितरण खंड के कार्यान्वयन के गलत प्रभाव विभिन्न इकाईयों जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओड़िशा के क्षेत्रीय स्तर पर देखा गया था। इसके अतिरक्त 12 वर्षों का प्रतिबंध और समान वितरण खंड भारत सरकार/भारत के सीएजी के अंतर्गत किसी अन्य पद संवर्ग स्थानांतरण या नियुक्ति के लिए लागू नहीं किया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, संघ ने प्रस्तुत किया है कि 12 वर्षों के प्रतिबंध और समान वितरण खंड को नीति से बिल्कुल निकाल दिया जाय। एआईएफ ने भी यह प्रस्तुत किया कि सभी मान्यता प्राप्त राज्य संगठन उक्त माँग को सर्वसम्मत्ति से मानती है और सभी राज्यों के

मुख्य कार्यकारियों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति माँग के पक्ष में संलग्न की गई है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ की मांग की कैडर नियंत्रक प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जायेगी।

<u>राजस्थान में डीएओ/डीए कैडर की तैनाती एवं स्थानान्तरण</u>

संघ ने प्रस्तुत किया है कि:

वर्तमान में कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रधान महालेखाकार कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल 102 डिविजनों में है किन्तु शेष डिविजनों में तैनाती राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

किन्तु हमारे नियमित कैडर सदस्यों के स्थानांतरण एवं तैनाती के संबंध में यह 102 डिविजन अभी तक निर्णय नहीं ले पाए/पहचान नहीं की गई हैं।

तथापि यह अनुरोध किया जाता है कि महालेखाकार (ले.एवं हक.) राजस्थान पदाधिकारियों एवं स्थानों की श्रेणी के अनुसार इन 102 डिविजनों का निर्णय करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ संवाद प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाए ताकि स्थानांतरण में नियमित कैडर सदस्यों के हितों की हानि न हो।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

मामला विचाराधीन है, हम न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षाकर सकते है। तथापि जैसा कि संघ द्वारा अनुरोध किया गया है मामले को महालेखाकार (ले.एवं हक.) राजस्थान के साथ उठाया जायेगा।

मांग सं. 10: पश्चिम बंगाल राज्य में 02.06.2006 से 29.08.2008 तक की अवधि के दौरान लेखा लिपिक से मंडल लेखाकार की पदोन्नति पर डीए के सदस्यों के वेतन का पुन: निर्धारण

स्पष्टीकरण:

वेतन निर्धारण के संबंध में परिपत्र सं. 22-स्टाफ (स्था-1) 2011/सं. 480-स्थापना-1/133-2011 दिनांक 13.06.2011 में मुख्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण जहां अ.अ./स.प्र.अ. ने 01.01.2006 के बाद की तिथि से सीसीएस (आरपी) नियम 2008 में वेतन निर्धारण का चयन किया था। कर्मचारी जिन्हें 01.01.2006 से 29.08.2008 की अवधि के दौरान अ.अ./व.प्र.अ. में पदोन्नत किया गया है उनको उनके विकल्प में संशोधन को अनुमत करने के बाद अपने वेतन निर्धारण के लिए पहले से लागू विकल्प में संशोधन द्वारा लाभ उठा रहे है। प्रभावित अ.अ./स.प्र.अ. आईए एवं एडी में पहले ही यह लाभ उठा चुके हैं। समान लाभ डीएओ-।।/पीएस को भी परिपत्र सं. 26-स्टाफ विंग/2013 सं. 947/स्टाफ (स्था.-।) 124-2013 दिनांक 06.09.2013 के तहत दिया गया है।

स्पष्ट रूप से दोनो परिपत्रों का तात्पर्य पूर्व संशोधित वेतन ढांचो के संबंध में पदोन्नत पद के वेतन के न्यूतम स्तर को अनुमत करना और यदि उससे निम्नतर चरण पर निर्धारित किया जाता है तो पदच्युति से बचना है।

पश्चिम बंगाल राज्य में मंडल लेखाकारों को वरिष्ठ लेखा लिपिक (राज्य वेतन मान वाला डीए का सम्पूर्ण फीडर कैडर) से पदोन्नत किया जाता है। ऐसे कुछ मामलों में 01.01.2006 से 29.08.2008 की अवधि के दौरान व लेखा लिपिक के पद से मंडल लेखाकार के रूप में पदोन्नत अधिकारियों ने ₹6500-10,500 के स्केल में ₹6500/- के न्यूनतम अद्यतित वेतन प्राप्त नहीं किया था।

उपरोक्त व्याख्या को देखते हुए उपरोक्त पदच्यूति को हटाने और मंडल लेखाकारों जो 16290 (12090+4200) अर्थात₹6500/- पर डीए के पद के लिए न्यूनतम पूर्व संशोधित के समतुल्य 01.01.2006 और 29.08.2008 के बीच पदोन्नत किए गए थे, के वेतन निर्धारण को अनुमत करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

राज्य सेवा से केन्द्रीय सेवा में ऐसा निर्धारण राज्य सिविल सेवा से आई.ए.एस. में पदोन्नत अधिकारियों के लिए सं. 14021/5/2008-एआईएस ।। दिनांक 16.12.2008 के तहत डीओपीटी द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण का लाभ उस मंडल लेखाकार को दिया जाए जो कि पश्चिम बंगाल में लेखा लिपिकों के पद से पदोन्नत किए गए है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य पीडब्ल्यूडी के कैडर वाले व.लेखा लिपिकों की मंडल लेखाकार के ग्रेड में नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनका वेतन डीओपीटी के ओएम सं. 12/1/2009-स्थापना (वेतन-I) दिनांक 28.08.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना है। जो केन्द्र सरकार में अपनी नियुक्ति पर राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। डीओपीटी के परिपत्र दिनांक 16.12.2008 में पदोन्नति द्वारा राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के आईएएस नियुक्ति पर वेतन निर्धारण से संबंधित विभिन्न मामलों का स्पष्टीकरण निहित है।

दिनांक 06.09.2013 का स्पष्टीकरण केवल उन कर्मचारियों पर लागू था जिनकी वेतन नियम 2009, दिनांक 01.01.2006 और 29.08.2008 (सीसीएस संशोधित की अधिसूचना की तिथि) के बीच पदोन्नति हुई थी। यदि यह उनके लिए अधिक लाभकारी था तो उनको 01.01.2006 के बाद पदोन्नति की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारित का विकल्प दिया गया था किन्तु उन्हें 01.01.2006 और पदोन्नति की तिथि की अवधि के बीच के वेतन के बकायों को छोड़ना होगा।

तथापि, मामले की महालेखाकार (ले. एवं हक.) पश्चिम बंगाल के कार्यालय के परामर्श से पुन: जांच की जायेगी।

मॉग सं. 11.: नव निर्मित लोक निर्माण कार्य मंडल में डीए संवर्ग के पदों की संस्वीकृति

स्पष्टीकरण:

कुल राज्य सरकारें डीएओ/डीए के पदों के सृजन के बिना निर्माण कार्य मंडल बना रही है जोकि कोडल प्रावधानों के विरूद्ध है। डीएओ/डीए के पद लेखांकन और वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही सृजित किये जाने चाहिए। जिस समय भी प्र.म.ले/म.ले. कार्यालय में निर्माण कार्य मंडल को बनाने के संबंध मे आदेश प्राप्त होता है, तबयह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीएओ/डीए के पद उस मंडल में संस्वीकृत किये गये हैं। मंडल अधिकारी के नाम से राजकोषीय अधिकारी को भुगतान प्राधिकार निर्गत करते समय प्र.म.ले./म.ले. द्वारा डीएओ/डीए के पदों की संस्वीकृति की जांच भी की जा सकती है। यह प्रक्रिया पहले दिन से उस मण्डल में वित्तीय उत्तरदायित्वों और उचित लेखांकन प्रणाली को लागू करने में भी सुनिश्चित की जायेगी।

इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि कृपया नव निर्मित लोक निर्माण कार्य मंडलों मे डीएओ/डीए के पद के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्र.म;ले./म.ले. को निर्देश निर्गत किये जायें।

ऐसे मण्डलों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्रम सं .	**राज्य का नाम**	**मण्डल की संख्या जिसमें डीए डीएओ के पर संस्वीकृत नहीं किये गये**
1.	मध्य प्रदेश	24 मण्डल
2.	उत्तराखण्ड	29 मण्डल
3.	पंजाब	15 मण्डल
4.	ओडिशा	32 मण्डल
5.	झारखंड	15 मण्डल
6.	हरियाणा	02 मण्डल
7.	मध्य प्रदेश	16 मण्डल

मॉग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:

सभी संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों (ले.व ह.) के परामर्श से मामले की जांच की जाएगी।

मॉग सं. 12: वरिष्ठ डीएओ को समूह 'क' प्रस्थिती प्रदान करना

स्पष्टीकरण:

माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान बेंच) नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 13.11.2013 को 2012 ओ.ए. सं. 2966 का निर्णय दिया गया है। निर्णय के अनुसार, 01.01.2006 से प्रभावी वरिष्ठ डीएओ के लिए समूह- 'क' प्रास्थिती प्रदान करने के लिए आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तिथि से 6 महीनों के अन्दर जारी किया जाना आवश्यक था। परन्तु वरिष्ठ डीएओ के लिए समूह 'ए' प्रास्थिती देने के माननीय कैट, नई दिल्ली के निर्णय के लागू करने के लिए उचित आदेश जारी नहीं किया गया है।

इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि कृपया उचित आदेश जारी किया जाये।

मॉग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:

न्यायाधिकरण द्वारा डब्ल्यूपी सं. 2698/2013 में दिनांक 17..09.2013 अखिल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिकारी संघ एवं अन्य बनाम यूओआई एवं अन्य में उच्च न्यायलय के निर्णय के आधार पर वरिष्ठ डीएओ के लिए समूह 'क' प्रस्थिति प्रदान करने के लिए निर्देश दिया गया है। क्योंकि उच्च न्यायलय द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध 2014 के एसएसलपी (सी) सं. 29186 द्वारा की गई है इसलिए वरिष्ठ डीएओज के मामलें में न्यायधीकरण के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। नवीनतम स्थिति के अनुसार, एसएलपी 31.03.2017 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

हमें मामले के परिणाम की प्रतिक्षा करनी चाहिए

मॉग सं. 13: डीए/डीएओ संवर्ग के लिए दोहरा प्रभार वेतन

स्पष्टीकरण:

प्र.म.ले./म.ले. (ले.एवं ह.) के पास डीए/डीएओ संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण है जो कि स्वयं भारत के सीएजी के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अनेक राज्यों में नियमित डीए/डीएओ की मौजूदा संख्या संस्वीकृत पदों की तुलना मे बहुत कम है; उस रूप में संवर्ग नियंत्रक अधिकारी अर्थात प्र.म.ले./म.ले. (ले.एवं ह.) द्वारा लगभग सभी राज्यों में जिनमें डीए/डीएओ संवर्ग कार्यरत है वहां नियमित डीए/डीएओज को अतिरिक्त/दोहरे और पर्यवेक्षी प्रभार निर्दिष्ट किये गये हैं। अतिरिक्त प्रभार के लिए जारी किये गये आदेश केन्द्र सरकार के नियमों के संदर्भ से रहित हैं, जिसके अधीन आदेश जारी किये गये हैं। पंजाब में, एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, प्र.म.ले. (ले. एवं ह.) पंजाब, चंडीगढ़, ने अपने दिनांक 24.08.2016 के पत्र सं. डीएजी (ए) आरटीआई एक्ट-2005/2016-17/331 के द्वारा उत्तर दिया कि अतिरिक्त/दोहरे प्रभार मूलभूत नियमों के नियम 49 के तहत है।

नियम 49 के अवलोकन करने से, यह पाया गया है कि अतिरिक्त प्रभार रखने वाले अधिकारी/अधिकारियों के लिए अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने के लिए प्रावधान है। हम सभी प्र. म.ले./म.ले. (ले.एवं ह;) को अतिरिक्त प्रभार रखने वाले डीए/डीएओज को अतिरिक्त वेतन प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का सविनय आपसे अनुरोध करते है, क्योंकि नियमों की मॉजूदा रूपरेखा/अभिलिखित निर्देश के अनुसार यह आवश्यक है।

मॉग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:

क्योंकि डीए संवर्ग में अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार का मामला एफआर 49(V) के अन्तर्गत आता है इसलिए कोई अतिरिक्त वेतन अनुमेय नहीं है। संघ की मॉग को समाप्त माना जाय।

मॉग सं. 14: डीएओ/डीए संवर्ग के लिए प्रोत्साहन परीक्षा योजना

स्पष्टीकरण:

आज कल राज्य सरकारे सामान की खरीद के साथ-साथ कार्यों के संव्यवहारों में कार्यालय प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के हित में हैं। ई-शासन प्रणाली, ई-निविदा करने, ई-अधिप्राप्ति, ई-लेखांकन और विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा जैसे निष्पादन लेखापरीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, प्रोद्भवन लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा आदि पर मुख्य बल दिया जा रहा है। ई-भुगतान/ई-चालान प्रणाली से बैंक में सीधे वेतन और भत्तों को क्रेडिट के माध्यम से प्रतिदिन के संव्यवहारों में विभिन्न प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को भी प्रयुक्त किया जा रहा है। वर्तमान में प्रोत्साहन परीक्षाओं आरए एवं आईई का सारा पाठ्यक्रम लेखापरीक्षा एवं लेखांकन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में डीएओ/डीए संवर्ग के लिए वृतिक कार्यक्षमता/कैरियर विकास के साथ-साथ प्रवीणता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा; दोनो परीक्षाएं मुख्यरूप से आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित मंडलों के प्रतिदिन के कार्यों के साथ-साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था के वातारण मे परिवर्तन में भी सहायक होगीं। हम भी आपके माननीय संगठन का एक भाग हैं और यह आशा करते है कि हमें भी बराबर अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। आईए एवं एडी के कर्मचारी होने के कारण हम आग्रह करते हैं कि दोनों प्रोत्साहन परीक्षाएं अर्थात् आरए एवं आईई को डीएओ/डीए संवर्ग के लिए भी किया जाय। हम यह भी आशा करते हैं कि योजना पूरे संवर्ग के लिए अनुमत होगी, क्योंकि सभी पदों के लिए सम्पूर्ण संवर्ग के काम समान है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आपके माननीय कार्यालय द्वारा वरिष्ठ डीएओ ग्रेड-1 एवं वरिष्ठ डीएओ के लिए पहले ही आरम्भ की गयी है।

मॉग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ ने दिनांक 07.03.2017 के ई-मेल द्वारा राजस्व लेखापरीक्षा एवं प्रोत्साहन परीक्षा पाठ्यक्रम के विषय के रूप में अपनी नौकरी की आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए आग्रह किया था। यह विषय संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जांच की जा जायेगी।